**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1511**

**दिनांक 04.03.2020/ 14 फाल्‍गुन, 1941 (शक) को उत्‍तर के लिए**

**माओवादियों पर अंकुश लगाने हेतु कदमों के संबंध में मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा**

**1511. श्रीमती विजिला सत्यानंतः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या यह सच है कि सरकार ने माओवादियों पर अंकुश लगाने के लिए कदमों के संबंध में मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की है;**

**(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या विचार-विमर्श हुआ है;**

**(ग) क्या यह भी सच है कि कई मुख्यमंत्री केन्द्रीय सशस्त्र बलों को राज्यों से हटाने के विरोध में थे और साथ ही उन्होंने वामपंथी उग्रवाद के खतरे से निपटने के बोझ को केन्द्र और राज्यों द्वारा समान रूप से बांटे जाने की भी मांग की; और**

**(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के क्या विचार हैं?**

**उत्‍तर**

**गृह मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जी़ किशन रेड्डी)**

(क) और (ख): वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) की स्थिति की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दिनांक 26 अगस्त, 2019 को एक बैठक की थी।

इस बैठक के दौरान, बहु-आयामी राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना-2015 के कार्यान्वयन हेतु केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न सुरक्षा संबंधी उपायों और विकासपरक पहलों पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस बैठक में सड़क परिवहन तथा राजमार्ग, ग्रामीण विकास, कौशल विकास और उद्यमशीलता, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी और वित्त आदि विभागों के केंद्रीय मंत्रियों ने भी भाग लिया।

**-2-**

**रा.स.अ.प्र.सं. 1511**

(ग) और (घ): वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्र से किसी भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) को नहीं हटाया जा रहा है। तथापि, बदलते हुए सुरक्षा परिदृश्य के आधार पर सीएपीएफ को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पुनः तैनात किया जाता है।

भारत के संविधान के सातवीं अनुसूची के अनुसार, ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ राज्य के विषय हैं। तथापि, केंद्र सरकार विस्तृत उपायों के रूप में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है जिसमें सुरक्षा, विकास और स्थानीय समुदायों के अधिकार एवं हकदारियां सुनिश्चित करना शामिल है।

गृह मंत्रालय सीएपीएफ बटालियनों की तैनाती, हेलीकॉप्टरों के प्रावधान, इंडिया रिजर्व बटालियनों (आईआरबी)/विशेष इंडिया रिजर्व बटालियनों (एसआईआरबी) आदि की स्वीकृति के माध्यम से बड़े पैमाने पर राज्य सरकारों की सहायता कर रहा है। राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण के लिए पुलिस बल का आधुनिकीकरण (एमपीएफ) स्कीम, सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) स्कीम और विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस) के अंतर्गत निधियां प्रदान की जाती हैं।

विकास के क्षेत्र में, केंद्र सरकार की फ्लैगशिप स्कीमों के अलावा, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के साथ-साथ सड़कों के विकास, मोबाइल टावरों की स्थापना, कौशल विकास, बैंकों और डाकघरों के नेटवर्क में सुधार के लिए कई पहलें की गई हैं।

राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना-2015 के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणास्वरूप वामपंथी उग्रवादी हिंसा और वामपंथी उग्रवाद के प्रभाव के भौगोलिक विस्तार दोनों में लगातार कमी आई है।

समीक्षा बैठक के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यों को वामपंथी उग्रवाद से लड़ने के प्रयास हेतु आवश्यक समस्त सहायता का आश्वासन दिया।

\*\*\*\*\*\*\*